राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अभिषेक बनाम प्रहलाद हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 546/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. मय अधीनस्थ न्यायालय का मूल वाद संख्या 292/2023 में पारित निर्णय दिनांक 25/03/2026 की फोटो प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25/03/2026 को अन्तिम निस्तारण हो चूका है ऐसे में यह अपील अब सारहीन हो गयी है एवं यह अपील चलने योग्य नही रह गयी है | अत: अपील अपीलान्ट सारहीन हो जाने से ख़ारिज फरमाई जावे | हमने अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी के कथनों के परिपेक्ष में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद में पारित निर्णय दिनांक 25/03/2026 का अवलोकन किया गया | जिससे अपीलार्थी के कथनों की पुष्टि होती है कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम निस्तारण हो गया है ऐसेमें कानूनन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र एवं उसमे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28/03/2025 अस्तित्वहीन एवं प्रभावहीन हो गया है, जिससे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत यह धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील अब स्पष्ट रूप से सारहीन हो गयी है | अत: अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से ख़ारिज की जाती है | तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	